

# कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक-व-15(9)पु.फो./कानि.भर्ती/टीएसपी-सहरिया/15/785

दिनांक-10.02.2016

## विज्ञाप्ति

### टीएसपी क्षेत्र व सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष कॉन्स्टेबल भर्ती,2016

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के टीएसपी/ सहरिया क्षेत्र में कॉन्स्टेबल सामान्य, कॉन्स्टेबल चालक, कॉन्स्टेबल भर्ती, 2013 में रिक्त रहे 742 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (online) राजकौम इन्फो सर्विसेज लि. द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क एवं जनसुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर दिनांक 01.03.2016 से भरे जा सकते हैं।

भर्ती हेतु रिक्त स्थानों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या-01/2016 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थाई आदेश संख्या 01/2016 दिनांक 14.01.2016 में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

#### 1. आवेदन प्रक्रिया :-

(क) भर्ती हेतु आवेदन online application form में लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (common service centre) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु+ रूपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर वैबसाइट [www.exampolice.rajasthan.gov.in](http://www.exampolice.rajasthan.gov.in) के माध्यम से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वैबसाइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/-की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र/हार्ड कापी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ख) परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल नकद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी।

(ग) आवेदक परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से विभाग को दगा। परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि एवं जिला/यूनिट जिसमें आवेदन कर रहा है की सूचना उपलब्ध कराएगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा जमा पर्ची निकाली जायेगी जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नम्बर भी जारी किया जायेगा जो कि अभ्यर्थी के लिए रसीद का कार्य करेगा। यह टोकन नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंकित करना अनिवार्य होगा। टोकन नम्बर अंकित किये बिना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।

(घ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज (4.5x3.5 सेमी.) फोटोग्राफ ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लाए। ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर अभ्यर्थी के लिए वैब-कैमरे से फोटो खीचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए आवेदक को रूपये 5/- अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(ड.) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है।

नोट-

- (1) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वैबसाइट [www.exampolice.rajasthan.gov.in](http://www.exampolice.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं।
- (3) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट [www.exampolice.rajasthan.gov.in](http://www.exampolice.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (4) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (5) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

## 2. आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक

- (क) परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक 29.03.2016 है।  
(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2016 को रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक की प्रतीक्षा किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

## 3. परीक्षा शुल्क-

सभी वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु - रुपये 150/-

नोट - ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप से आवेदकों को देने होंगे।

## 4. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वैबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों, वैबसाइट एवं मोबाइल मैसेज(यथा सम्भव) के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वैबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक एवं ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र पर परीक्षा शुल्क जमा कराने पर दिया गया टोकन नम्बर का उपयोग करेंगे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

## 5. भर्ती हेतु रिक्त पद

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

क- कॉन्स्टेबल सामान्य टीएसपी क्षेत्र

क्र. सं.	जिला/ यूनिट	सामान्य श्रेणी				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				योग							
		महिलाओं हेतु आरक्षित		विधवा	परित्यक्ता	महिलाओं हेतु आरक्षित		विधवा	परित्यक्ता	महिलाओं हेतु आरक्षित		विधवा	परित्यक्ता								
		पुरुष	सामान्य			योग	महिलाएँ			पुरुष	सामान्य	योग	महिलाएँ								
1	उदयपुर	16	4	41	61	98	159	1	0	4	5	0	5	14	3	37	54	28	82	246	
2	बांसवाडा	6	1	13	20	0	20	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22
3	सिरोही	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	9	12	
4	झुगरपुर	7	1	17	25	0	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	26
5	प्रतापगढ़	6	1	16	23	41	64	0	0	2	2	0	2	6	1	17	24	24	48	114	
एमबीसी																					
6	खैरवाडा	4	1	10	15	34	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	52
योग		39	8	98	145	175	320	1	0	8	9	0	9	22	4	56	82	61	143	472	

ख-कॉन्स्टेबल सामान्य सहरिया आदिम जाति

क्र. सं.	जिला/ यूनिट	महिलाओं हेतु आरक्षित				पुरुष	योग
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	योग महिलाएँ		
1	जिला बांरा	16	4	41	61	141	202
	योग	16	4	41	61	141	202

ग-कॉन्स्टेबल चालक टीएसपी क्षेत्र

क्र. सं.	जिला/ यूनिट	सामान्य श्रेणी				अनुसूचित जनजाति				योग			
		महिलाओं हेतु आरक्षित		विधवा	परित्यक्ता	महिलाओं हेतु आरक्षित		विधवा	परित्यक्ता	महिलाओं हेतु आरक्षित			
		पुरुष	सामान्य			योग	महिलाएँ			पुरुष	सामान्य	योग	
1	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	बांसवाडा	0	0	1	1	2	3	0	0	2	2	7	9
3	झुगरपुर	0	0	1	1	2	3	0	0	3	3	5	8
4	प्रतापगढ़	0	0	3	3	5	8	0	0	3	3	8	11
5	एमबीसी खैरवाडा	0	0	1	1	3	4	0	0	0	0	1	1
योग		0	0	6	6	12	18	0	0	8	8	22	30
													48

घ-कॉन्स्टेबल चालक सहरिया आदिम जाति

क्र. सं.	जिला/ यूनिट	महिलाओं हेतु आरक्षित				पुरुष	योग
		विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	योग महिलाएँ		
1	जिला बांरा	1	0	5	6	14	20
	योग	1	0	5	6	14	20

### नोट:-

- 1- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(20)कार्मिक/क-2/01/पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया तथा कार्मिक विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13 के अनुसार ट्राईबल सब प्लान एरिया की अनारक्षित रिक्तियां केवल स्थानीय निवासियों से ही भरी जायेंगी।
- 2- कॉन्स्टेबल भर्ती, 2013 की चयन प्रक्रिया उपरान्त शेष रहे रिक्त पदों को भरने हेतु सम्बन्धित वर्ग के उक्त पद विज्ञापित किये गये हैं।
- 3- ऐसे स्थान जहां पर पुरुष वर्ग की रिक्तियां विज्ञापित नहीं हैं तथा महिलाओं हेतु पद विज्ञापित हैं, महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को सम्बन्धित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में महिला रिक्तियों के विरुद्ध पुरुष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी स्वीकार किये जायेंगे।

## 6. आरक्षण

### (क) महिलाओं के लिए:-

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से प्रवर्गनुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/ 88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा/परित्यकता) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

किसी वर्ग-विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी।

स्पष्टीकरण- विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

किसी वर्ग हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/सहरिया) एवं टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण क्षेत्र की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

### (ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम,1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्त बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्त आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रणीत की जाएगी, तदुपरान्त रिक्तियां अनारक्षित मानी जाएगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण- भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:-

राज्य सरकर की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13 के प्रावधानानुसार जिला उदयपुर एवं सिरोही के उन क्षेत्रों को जिन्हें ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यार्थियों के लिए होंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।

(ड) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-5(31)कार्मिक/क-2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप संमाना जाएगा और इसका सामायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण- उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:-

(i) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फैडरेशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iii) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मन्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आलइण्डिया इन्टरराष्ट्रियूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

## 7 वेतनमान और पेशन

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 8910/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होंगा। तत्पश्चात्

नियमानुसार कानिस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला 5200-20200 (ग्रेड पे-2400) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कानिस्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।

#### 8. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

- (i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
एम.बी.सी. खैरवाडा	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत है वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### (iv) आयु सीमा-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2)डीओपी/ए-2/84-पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2016 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

#### कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर/बैण्ड के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.1998	02.01.93	02.01.88
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	01.01.1998	02.01.88	02.01.83
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.1998	02.01.90	02.01.85
भूतपूर्व सैनिक	01.01.1998	02.01.74	02.01.74

#### कॉन्स्टेबल चालक के लिए

सामान्य	01.01.1998	02.01.90	02.01.85
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	01.01.1998	02.01.85	02.01.80
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.1998	02.01.87	02.01.82
भूतपूर्व सैनिक	01.01.1998	02.01.74	02.01.74

(v) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं बजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	टीएसपी सामान्य/ अनु.जाति/ अनु.जनजाति		बांग जिले के सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81से.मी. फुलाने पर-86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए-74से.मी. फुलाने पर-79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
बजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट-यदि शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।

(vi) चिकित्सकीय मापदण्ड

- (i) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
- (ii) अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- (iii) अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसे फूली हुई होना (varicose veins), भैगापन (squint), रत्तौधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।
- (iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(iv) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(v) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एकट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एकट 28 आफ 1961)

(vi) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से बन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके बन्चित(डीबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई हो, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(viii) नैतिक अद्यमता (moral turpitude) के अपराध में दोषसिद्ध अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(ix) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 782/2004 राज्य सरकार व अन्य बनाम मोहम्मद सलीम के निर्णय दिनांक 10.12.2009 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1687 दिनांक 29.04.95 को विधिसम्मत माना है। उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्थान पुलिस में भर्ती हेतु वे अभ्यर्थी ही पात्र माने जायेंगे जिन्हें-

आपराधिक प्रकरणों में नैतिक अनाचरण (moral turpitude) एवं हिंसात्मक गतिविधि (violent act) का नहीं माना गया हो तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा सःसम्मान दोषमुक्त (honourably acquitted) किया गया हो, तथ्य छुपाना नैतिक अनाचरण माना जायेगा।

(x) कानिस्टेबल ड्राईवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

## 10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना नियमानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कानि.सामान्य	कानि. ड्राईवर	कानि. बैण्ड
लिखित परीक्षा	75	75	0
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15	15
विशेष योग्यता(एन.सी.सी.होमगार्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100	25

### (i) लिखित परीक्षा-

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को सम्बन्धित जिला/बटालियन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वेबसाइट/एसएमएस (यथासम्बन्ध) पर प्रकाशित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एवं तार्किक योग्यता' के प्रश्नों से सम्बन्धित 30 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान,

सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 15 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि विषयों पर आधारित 30 अंक का होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जावेगा। लिखित परीक्षा का परिणाम रिक्त पर्दों के पांच गुणा अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार जारी किया जावेगा।

लिखित परीक्षा की सूचना एवं परिणाम वैबसाईट [www.exampolice.rajasthan.gov.in](http://www.exampolice.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

#### (ii) मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा-

सम्बन्धित जिला/बटालियन की वागवार रिक्तियों के विरुद्ध लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तोल व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। भार्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तोल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक निम्नानुसार है:-

पदनाम	पुरुष (टीएसपी सामान्य)		महिला (समस्त वर्ग)		भूतपूर्व सैनिक (समस्त वर्ग)		सहरिया एवं द्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु. जाति/अनुजनजाति		अंक
	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	
कॉन्स्टेबल सामान्य	10 किमी. दौड़	65 मिनिट	5 किमी. दौड़	35 मिनिट	5 किमी. दौड़	35 मिनिट	5 किमी. दौड़	35 मिनिट	15
कॉन्स्टेबल चालक	10 किमी. दौड़	65 मिनिट	5 किमी. दौड़	अधिकतम 35 मिनिट	5 किमी. दौड़	अधिकतम 35 मिनिट	5 किमी. दौड़	अधिकतम 35 मिनिट	10

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

#### अपील

शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी चयन बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी शामिल होगा, के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्वित उसी दिन. पूर्ण की जावेगी।

नोट-अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

#### (iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राईवर के लिए)-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होंगे। कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या 01/2016 के

पार्ट-3 बिन्दू संख्या-(A) में अंकित है। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-

कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर नियमानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे:-

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	5
2	बी- प्रमाण पत्र	3
3	ए- प्रमाण पत्र	2

(एन.सी.सी. के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे)

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	दो वर्ष से अधिक समय तक बोर्डर होमगार्ड में निरन्तर सेवा देने पर	5
2	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष से अधिक होमगार्ड में निरन्तर सेवा देने पर	3
3	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक होमगार्ड में निरन्तर सेवा देने पर	2

(होमगार्ड के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे )

(v) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा) के अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता कम में चयन सूची तैयार की जावेगी। सम्भावित रिक्त पदों के विरुद्ध चयन किये गये अभ्यर्थियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील- उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अध्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोगता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

## 11. प्रमाण पत्र-

- अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-
- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
  - (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
  - (iii) ड्राईबल सब प्लान एरिया के अभ्यर्थी (सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग) तथा सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
  - (iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
  - (v) आवेदक यदि मृतक पुलिस कर्मी का आश्रित है तो मृतक पुलिस कर्मी, जिसकी कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हुई हो, उसके आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
  - (vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
  - (vii) यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प-5(31) कार्मिक/क-2/84 दिनांक 15.03.13 के प्रावधानुसार जैसा कि विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-6(ड.) के स्पष्टीकरण में अंकित है के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
  - (viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पैशनर होने का प्रमाण पत्र।
  - (ix) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) फोटो।
  - (x) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
  - (xi) कानिस्टरेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV) की मूल प्रति। HMV लाईसेंस प्राप्त अभ्यर्थी को स्थाई आदेश संख्या-01/2016 के अनुसार अलग से अंक देय है।
  - (xii) एनसीसी, राजस्थान होमगार्ड के प्रमाण पत्र।

## 12. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि नियुक्ति के उपरान्त भी कोई सूचना गलत पाई गई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (ii) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (iii) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (iv) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (vi) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं

गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है।

- (vii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाती दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (viii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी हाएगी।
- (ix) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर-पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर-पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र के साथ अलग से भिजवाये जायेगे।
- (x) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी पुलिस मुख्यालय का स्थायी आदेश 01/2016 एवं यह विज्ञप्ति वैबसाईट [www.exampolice.rajasthan.gov.in](http://www.exampolice.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे।

(डॉ.प्रशांखा माथुर)  
महानिरीक्षक पुलिस  
मुख्यालय,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 2 पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
- 3 समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 4 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
- 5 उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
- 6 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, राजस्थान जयपुर।
- 7 समस्त कमाण्डेन्ट, एम.बी.सी. खैरवाडा।
- 8 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राईविंग स्कूल,बीकानेर।
- 9 संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.),राजस्थान, जयपुर।
- 11 निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 12 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 13 प्रभारी, राजस्थान पुलिस वैबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वैबसाईट पर उपलब्ध करावें।

महानिरीक्षक पुलिस  
मुख्यालय,  
राजस्थान, जयपुर।